

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भूअभिलेखा  
अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर  
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)  
प्रकरण संख्या : 248 / 2023(जी.सी.एम.एस. 2023 / 303)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. गुरदेव कौर उर्फ अंग्रेज कौर पत्नी बग्गा सिंह पुत्री करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी रामगढसंगर तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजु:- 26.07.2023


उपस्थित: 1. श्री दलजीत सिंह बराड अधिवक्ता वादिया

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

—निर्णय—

दिनांक : 12.02.2024

- संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादिया के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम चक 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 146/41 के मुरब्बा नम्बर 43, 44 की कुल 2.277 हैक्टेयर भूमि वादिया के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादिया को उक्त भूमि अपनी बहन से जरिए दानपत्र से प्राप्त हुई है। दानपत्र तहरीर करते समय सहवन से वादिया का नाम गुरदेव कौर उर्फ अंग्रेज कौर ना करके अकेला गुरदेव कौर दर्ज कर दिया गया। जिसके आधार पर ही वादगत भूमि में वादिया का नाम गुरदेव कौर दर्ज हो गया। वादिया उक्त खाता में अपना नाम गुरदेव कौर उर्फ अंग्रेज कौर अंकित करवाना चाहती है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार से कोई असुविधा न हो। वर्तमान में फसल बेचान, अनुदान/ऋण संबंधित आवेदन पत्र तथा जमाबंदी एवं गिरदावरी इत्यादि दस्तावेजात ऑनलाईन हो चुके है, जिनका दस्तावेजो के अनुरूप खातेदार का नाम मिलान किया जाता है, उसके पश्चात् ही अनुदान/ऋण इत्यादि की स्वीकृति प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है। इस कारण विभिन्न समस्याओ से वादिया को झूजना पड़ रहा है। इसलिए भी उक्त संशोधन करवाने हेतु वादिया माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर है। इसलिए भी उक्त संशोधन हेतु घोषणा करवा रही है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के उक्त आशय के संशोधन हेतु पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम चक 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ. नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 146/41 के मुरब्बा नम्बर 43, 44 की कुल 2.277 हैक्टेयर भूमि में अंकित नाम गुरदेव कौर के स्थान पर गुरदेव कौर उर्फ अंग्रेज कौर नाम घोषित किया जाकर, उपरोक्तानुसार संशोधन करने हेतु डिक्री पारित की जावे।
- वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पत्रांक 77 दिनांक 01.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 12 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 146/41 में गुरदेव कौर पुत्री करनैल सिंह के नाम से 2.277 हैक्टेयर भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी हलका द्वारा मौके पर पूछताछ की गई व फर्द मौका बनाया गया। उपस्थितजनों ने बताया कि गुरदेव कौर उर्फ अंग्रेज कौर पत्नी बग्गा सिंह पुत्री करनैल सिंह एक ही औरत के दो नाम है। वादिया के द्वारा न्यायालय में स्वयं उपस्थित आकर शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किया। सामिल मिसल किया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर



3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादिया, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादिया अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा की प्रति, पै न कार्ड की छायाप्रति, जन आधार कार्ड की छायाप्रति, मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति, परिवार राशन कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। वादिया के द्वारा राजस्व ग्राम चक 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 146/41 के मुरब्बा नम्बर 43, 44 की कुल 2.277 हैक्टेयर भूमि में अंकित नाम गुरदेव कौर के स्थान पर गुरदेव कौर उर्फ अंग्रेज कौर दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। वादिया के पै न कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड में नाम अंग्रेज कौर पत्नी बग्गा सिंह दर्ज है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पूछताछ की गई व फर्द मौका बनाया गया। उपस्थितजनों ने बताया कि गुरदेव कौर उर्फ अंग्रेज कौर दोनो एक ही है। अतः वाद पत्र वादिया रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादिया के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र, के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

--:आदेश:-

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम चक 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 146/41 के मुरब्बा नम्बर 43, 44 की कुल 2.277 हैक्टेयर भूमि में अंकित नाम गुरदेव कौर के स्थान पर गुरदेव कौर उर्फ अंग्रेज कौर दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

(सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस))

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर जिला श्रीमंगानगर  
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 12.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस))

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर जिला श्रीमंगानगर  
श्री करणपुर



# अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर  
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

गुरदेव कौर उर्फ अंग्रेज कौर बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर 248/2023

निर्णय दिनांक :- 12.02.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादिया अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह बराड उपस्थित होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादिया अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम चक 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 146/41 के मुरब्बा नम्बर 43, 44 की कुल 2.277 हैक्टेयर भूमि में अंकित नाम गुरदेव कौर के स्थान पर गुरदेव कौर उर्फ अंग्रेज कौर दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेंगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 12.02.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	00	योग	00	00

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

दिनांक: 12.02.2024

क्रमांक: रीडर/ 2024/33

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

